# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

**पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता** (आई0ए0एस0)

**प्रकरण संख्या– 34 / 2022**

**बउनवान**

रूपलाल आयु 65 वर्ष पुत्र श्री परमानन्द, जाति मीणा, निवासी ग्राम चुरेलिया, तहसील व जिला–बारां, राज0

(अपीलांट)

**बनाम**

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार बारां, जिला बारां

(रेस्पोंडेंट)

**अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956**

उपस्थिति :–1. श्री ओम मेहता तृतीय, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

**निर्णय दिनांक 20.12.2022**

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 25.02.2022 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम– चुरेलिया, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 104 रकबा 0.20 है. किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 100/–रूपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। प्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई अतिचार एवं अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है। पत्रावली पर कब्जे एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत कोई साक्ष्य नही है, और ना ही मौके पर कब्जे की कोई पुष्टि हुई, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजायाब कर भारी भूल की गई है। अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। कब्जा छोड़ दिया है वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.02.2022 निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलक्टर
बारां (राज॰)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार [illegible] की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.03 17:04:23 IST
Reason: SelfAttested

बहस के दौरान [illegible] ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट [illegible]वाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नही दि[illegible] गया। प्रार्थी ने किसी [illegible] का कोई अतिचार एवं अतिक्रमण नहीं किया है। पत्रावली पर कब्जे एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत कोई साक्ष्य नही है, और ना ही मौके पर कब्जे की कोई पुष्टि हुई।

अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.02.2022 निरस्त करने की इस्तदुआ की।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 571/19 निर्णय दिनांक 18.03.2019 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के संबंध में पटवारी हल्का के बयान के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 205/22 में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2022 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा नायब तहसीलदार, बारां के समक्ष एक माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 25.02.2022 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2022 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.03 17:04:23 IST
Reason: SelfAttested